कार्यालय नगर परिषद राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)

क्रमांक :/ई–टेण्डर/2026/1081 राजपुर, दिनांक : 09/05/2026

–: निविदा सूचना :–

नगर परिषद राजपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने हेतु **mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है:–

टेण्डर नं.	टेण्डर आई. डी.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1		स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने बाबत्।	22.00 लाख	25000/–	5000/–	11 माह

नोटः–

1- आनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 11/05/2026 प्रातः 10:30 बजे से डाउनलोड/क्रय किये जा सकेगे।
2- बिड सबमिन दिनांक 11/05/2026 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 10/06/2026 अपरान्ह 5:30 बजे तक की जा सकेगी।
3- आनलाईन निविदा खोलने का दिनांक 11/06/2026 समय अपरान्ह 10:00 बजे।
4- यह संक्षिप्त निविदा सूचना है एवं विस्तृत निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते बंधनकारी होगी।
5- विस्तृत निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।
6- निविदा में किसी भी प्रकार संशोधन केवल वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

(जगदीशचन्द्र दानगढ)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राजपुर

(शिखा विजय अग्रवाल)
अध्यक्ष
नगर परिषद राजपुर

पृ.क्रमांक :ई–टेण्डर/1082/2026 **राजपुर, दिनांक : 09/05/2026**

प्रतिलिपि :–

1- कार्यपालन यंत्री, न.प्र.एवं विकास इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2- समन्वयक, सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. 6 नं.बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त निविदा सूचना को न.प्र. विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.विभाग) राजपुर की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करे।
4- नगर पालिका नोटस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5- संवाददाता श्री .... एवं .... दैनिक समाचार पत्र की ओर उक्त सूचना न्यूनतम दर एवं न्यूनतम स्पेस में आगामी दिवस मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन के दिन ही समाचार पत्र की दो प्रतियॉ जलप्रदाय शाखा में प्रस्तुत करने हेतु प्रेशित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राजपुर

कार्यालय नगर परिषद राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)

स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने बाबत्।

निकाय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने हेतु दर स्वीकृति टेण्डर के माध्यम से आनलाईन दरे आमंत्रित की जाती है।

1.कार्य का नाम	: स्वच्छता एन.जी.ओ. नियुक्त किये जाने बाबत्।
2.कार्य की अनुमानित लागत	: रू. 22.00 लाख
3.अमानत राशि	: रू. 25000.00
4.टेण्डर डाक्युमेटं लागत	: रू. 5000

टेण्डर डॉक्यूमेटं क्रय करने एवं बिड प्रस्तुत करने की दिनांक ई–टेण्डर पोर्टल mptenders.gov.inपर देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

1- आनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 09/05/2026 प्रातः 10:30 बजे से डाउनलोड/क्रय किये जा सकेगे।
2- बिड सबमिशन दिनांक 09/05/2026 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 09/06/2026 अपरान्ह 5:30 बजे तक की जा सकेगी।
3- आनलाईन निविदा खोलने का दिनांक 11/06/2026 समय अपरान्ह 10:00 बजे।
4- यह संक्षिप्त निविदा सूचना है एवं विस्तृत निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते बंधनकारी होगी।
5- विस्तृत निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।
6- निविदा में किसी भी प्रकार संशोधन केवल वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण –

ऑनलाईन बीड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

सामग्री/कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी अनुसूची –1 मे ं अंकित है। अनुसूची –1 अनुसार ऑनलाईन ऑफर/बीड प्रस्तुत की जावे। किसी अन्य आफर पर विचार नहीं किया जावेगा। स ार्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र विनिर्देाों नियमों और भार्तो का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे अन्यथा उनकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा/ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं भार्तो का अध्ययन कर लिया गया है।

यह आफर ऑनलाईन लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

लिफाफ ए जिसमें :–

1- अमानत राशि ऑनलाइन जमा की जाना होगी।
2- संस्था रजिस्ट्रेशन प्रमाण – पत्र।
3- दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण – पत्र।
4- इनकम टेक्स रिर्टन अनिवार्य ।
5- विगत 03 वर्ष की फर्म की ऑडिट रिपोर्ट।
6- विगत 03 वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण – पत्र
7- आयकर पेन कार्ड की स्केन प्रति।
8- संस्था का पंजीयन दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में 03 वर्ष पूराना हो।
9- संस्था द्वारा स्वछता सर्वेक्षण के क्षेत्र में कार्य किय जा रहा हो ।

प्राईस बीड अर्थात लिफाफा ब ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत ऑनलाईन दरें प्रस्तुत की जावे।

सर्वप्रथम लिफाफा अ खोला जावेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि एंव दस्तावेज पाये जाने पर नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विलेशण पश्चात पात्र व्यक्ति/संस्था/फर्म/ कंपनी का लिफाफा बी खोला जावेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर के मुल्यांकन के आधार पर एजेन्सी का चयन किया जावेगा।

अनुबंध की अवधिः—

अनुबंध दिनांक से 11 माह तक की रहेगी।

प्रस्ताव की वैधता :—

प्राईस बीड खोली जाने की तिथि से 120 दिवस की अवधि तक के लिये प्रस्ताव वैध रहेगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास सुरक्षित है।

अमानत राशि :—

निविदादाता प्रस्ताव के एक भाग के रूप में निर्धारित अमानत राशि की एफ.डी.आर. की स्केन प्रति आनलाईन प्रस्तुत करेगा जिसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया गया है।

अमानत राशि की वापसी :—

असफल निविदादाताओं की अमानत राशि निविदा खोलने के पश्चात् निविदादाता के अनुरोध पर वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से जब्त की जावेगी —

1- निविदा प्रपत्र में उल्लेखित वैधता अवधि के पूर्व निविदादाता द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है।

2- निविदादाता अपने प्रस्ताव के स्पश्टीकरण के लिये नगर परिषद के अनुरोध का जवाब प्रस्तुत नही करता है।

3- निविदादाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल होता है अथवा गैर उत्तरदायी रवैया पाया जाता है।

4- सफल निविदादाता के मामले में वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।

5- निविदादाता यदि कार्यादेश की समयावधि में सामान सप्लाय नहीं करता है तो एफ.डी.आर जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

पात्रता योग्यता :—

निविदादाता से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त भार्तो/मापदण्डों को पुरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तो/मापदण्डों को पूरा करने के लिए या इन भार्तो/ मापदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता को पूर्वमूल्याकंन के दौरान खारिज किया जा सकता है।

निरर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) :—

नगर परिषद राजपुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदादाता को प्रस्ताव के मल्याकंन के दौरान या किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि किसी कंपनी को पुर्व मे किसी निकाय द्वारा ठेका दिया जाता है लेकिन वह काम पुरा होने से पहले ही छोड देती है तो वह कंपनी अयोग्य घोषित कर दी जावेगी। यदि — निविदादाता द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावदेन प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव का मूल्याकंन :—

निविदा में प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण निविदा समिति द्वारा किया जावेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

अनुबंध की समाप्ति—

स्वीकृत निविदादाता द्वारा सप्लाय/सर्विसप्रदाता/कार्य का पर्यवेक्षण समय –समय पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जावेगा यदि कार्य में निर्धारित गुणवत्तापूर्वक नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे ंमुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर नगर परिषद राजपुर को यह अधिकार होगा की वह संबंधित फर्म को 07 दिवस का नोटिस देकर तथा सर्विसप्रदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अनुबंध समाप्त कर देवे तथा स्वीकृत दर पर अन्य संस्था/फर्म/व्यक्ति से कार्य करवा जिसमें संबंधित सर्विसप्रदाता को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

विवाद समाधान प्रक्रिया–

इस अनुबधं की सरंचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इस अनुबधं से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादों का न्याय क्षेत्र नगर परिषद राजपुर रहगेा। टेण्डर एवं अनुबंध की सामान्य/वि ोश शर्ते अनुसुची –1 में उल्लेखित किया गया कार्य की पृथक–पृथक दर दी जाना अनिवार्य है।

1- सबंधित फर्म से आशा की जाती है कि वे टेण्डर डाक्यूमेंट एवं अनुबधं मेंलिखित शर्तो का गहन अध्ययन के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे।

2- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा टेण्डर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया गया है।

3- टेण्डर प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।

4- मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद राजपुर को संपूर्ण टेण्डर अथवा टेण्डर के किसी भाग/सामग्री /कार्य को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है अस्वीकृति का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

5- टेण्डर में प्राप्त दरों मे से पूर्ण या आंशिक दरें स्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण टेण्डर की दरें स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजपुर को होगा।

6- टेण्डर में से एक या एक से अधिक सामग्री के भाव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजपुर को होगा।

7- टेण्डर में उल्लेखित सामग्री के विवरण मे ं परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजपुर को रहेगा तथा निविदादाता को विवरण अनुसार ही दर प्रस्तुत करना होगी।

8- सामग्री के भुगतान के समय निर्देशानुसार वांछित आयकर, वाणिज्यकर, सबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

9- मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजपुर द्वारा नियमानुसार बिल में से समस्त करों की कटौती की जावेगी। निविदादाता को समस्त कर, शुल्क आदि का आकंलन कर दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगी। स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या भुगतान नही किया जावेगा।

10- टेण्डर माध्यम से सामग्री/कार्य की मात्रा के मान से भाव आमंत्रित किये जा रहे है। आवश्यकतानुसार एकमु त अथवा खण्ड–खण्ड में कार्यादेश दिया जा सकता है। कार्यादेश अनुसार कार्य किया जाना होगा, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

11- अमानत राशि सप्लाय कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही नियमानुसार वापस की जावेगी। जमा अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नही दिया जावेगा।

12- निविदादाता को टेण्डर स्वीकार करने की सूचना मिलने पर निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारुप में अनुबंध पत्र संपादित करना होगा। अनुबंध पत्र पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि मे अनुबंध संपादित नहीं करने पर निविदा निरस्त की जाकर अन्य निविदादाता से सामग्री क्रय की जा सकेगी किन्तु ऐसी स्थिति में अंतर की राभि सबंधित न्यनतम निविदादाता से वसूली की जावेगी।

13- अनुबंध भी निविदा प्रपत्र की शर्तो का एक भाग है अनुबधं में उल्लेखित शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा।

14- निविदादाता को अनुबंध में हस्ताक्षर उपरांत कार्यादेश में उल्लेखित निर्धारित अवधि में कार्य कराना आवश्यक होगा किन्ही विशेष परिस्थितियों में अवधि वृद्धि करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजपुर का होगा।

15- न्यूनतम निविदादाता को शासन के सभी नियमो ं का पालन करना आवश्यक होगा।

16- न्यून्तम निविदादाता को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद राजपुर द्वारा/कर्मचारी द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा यदि दिये गये आदेश/निर्देश का उल्लघंन करने पर या निविदा/अनुबधं पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपुर द्वारा टेण्डर निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता की जमा सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। इस सबंध में निविदादाता को आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

17- विधि में परिवर्तन के कारण या शासन आदेश के पालन में या निकहम अप्रत्याशित /अपरिहार्य कारणों से यदि नगर परिशद् राजपुर द्वारा टेण्डर निरस्त किया जाता है तो इस सबधं में संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

18- नगर पालिका राजपुर को यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि संबंधित न्यूनतम निविदादाता (फर्म) को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा ब्लेकलिस्टेड किया गया है तो नगर पालिका राजपुर द्वारा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा जिस पर संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

19- किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपुर का निर्णय अंतिम होकर बधंनकारी रहेगा एवं न्यायालयीन वाद की स्थिति मे ंन्यायालय क्षेत्र राजपुर रहेगा।

निविदा की विशेष शर्ते

1- संस्था को 01 कम्प्युटर आपरेटर एवं 04 फिल्ड कर्मचारी फुल टाईम उपलब्ध कराने होगे।

2- संस्था को भुगतान प्रतिमाह प्रस्तुत बिल एवं निकाय क्षेत्रांतर्गत प्रतिदिन किये गये कार्य की वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर निकाय की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा। निकाय में भुगतान हेतु बिल के साथ सम्पूर्ण माह की वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार कर कलर प्रिंट में 01 प्रति एवं ब्लैक – व्हाईट में 01 प्रति (हार्डकॉपी) प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

3- निकाय के अन्य अभियान में भी N.G.O.@ संस्था के कर्मचारियों से कार्य लिया जा सकेगा।

4- समय–समय पर सौंपे गये कार्य का अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।

5- किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6- संस्था को को पूरे सप्ताह कार्य करना होगा।

7- कचरा कलेक्शन उपरांत गीला सूखा व अन्य कचरे का पृथक्करण किया जाकर MRF सेंटर मे डालना तथा जैदिक खाद बनाये जाने योग्य अपशिष्ट से जैविक खाद को बनाया जाना तथा तैयार की हुई खाद को 25 कि.ग्रा./50 कि.ग्रा. बैग में पैक कर निकाय को सुपुर्द किया जाना होगा।

8- सुबह व सायं निकाय के वार्डों से डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन के दौरान नागरिकों को गतिविधियों या अन्य माध्यम से कचरा वाहन में कचरा अलग–अलग 02 (गीला–सूखा, हानिकारक अपशिष्ट आदि) कम्पार्टमेंट में डालने तथा घर पर ही गतिविधियों के माध्यम से कचरे को रि–यूज/जैविक खाद बनाया जाना के प्रति नागरिकों को जागरुक किया जाना।

9- निकाय क्षेत्र मे जनजागरुकता हेतु IEC गतिविधों को करवाया जाना, निकाय मे सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जाना, ऑनलाइन व ऑफलाइन स्वच्छ भारत मिशन के तहत पोर्टल को अपडेट करना, स्वच्छ सिटी पोर्टल को अपडेट करना, GFC स्टार रेटिंग, ODF++ पोर्टल सम्बंधित अन्य आदि कार्यों को सम्पादित किया जाना है।

10- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नगर की शालाओं में रंगोली, निबंध, वाद–विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाना होगा।

11- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को निकाय स्तर पर प्रचार प्रसार करना, एवं निकाय के सोशल मीडिया पेज स्वच्छ मंच पोर्टल, फेशबुक, यू–ट्यूब ट्विटर आदि पर अपडेट करना।

12- स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत SLP, CE, GFC स्टार रेटिंग, ODF++ और ENOVATION सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के दस्तावेज बनाना एवं समय सीमा मे पोर्टल पर अपलोड करना।

13- स्वच्छ सर्वेक्षण, GFC स्टार रेटिंग, ODF++ आदि के निरीक्षण के लिये निकाय अंतर्गत आए हुये दल को फील्ड विजिट करवाना एवं पोर्टल पर दी गई क्वेरी (QUERY) के दस्तावेज बनाकर समय सीमा मे अपलोड करना।

14- समय–समय पर शासन द्वारा प्राप्त SBM से सम्बंधित निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

15- निविदादाता को दरे मय स्थल पर पहुंच के समस्त करों सहित देनी होगी।

16- मांग अनुसार कार्य नियत स्थल पर उपलब्ध प्रस्थापक को स्वयं के वाहन तथा स्वयं के कर्मचारियो के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

17- निविदादाता को इसी प्रकार पूर्व में उल्लेखित कार्य से संबंधित अपने दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

18- निविदादाता को किसी भी प्रकार का एडवान्स भुगतान नही किया जायेगा। नगर पालिका के नियमानुसार बिलों का भुगतान किया जायेगा।

19- बिल में उल्लेखित राशि में से नियमानुसार करों का कटोत्रा किया जाकर राशि का भुगतान किया जायेगा।

20- स्वीकृत दर के अनुसार ही भुगतान किया जावेगा, स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नगर पालिका द्वारा नही किया जायेगा। दरें समस्त टेक्स सहित की प्रस्तुत की जावे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राजपुर

अनुसुची क्रं.1

स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने बाबत्।

क्र	सामग्री	युनिट
1	स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने बाबत्।	11 माह्

परिशिष्ठ–1

क्र	सामग्री	युनिट	दर
1	स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 अंतर्गत निकाय को गारबेज फ्रि–सीटी, ओडीएफ प्लस+प्लस, आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) गतिविधिया, दस्तावेजीकरण, आनलाईन पोर्टल एमआईएस, कचरा प्रबंधक के समस्त प्लांट संचालन आदि कार्य हेतु कंसलटेंसी फर्म/एन.जी.ओ. फर्म को 11 माह हेतु नियुक्त किये जाने बाबत्।	11 माह	

1- सामग्री की दरें ऑनलाईन देना होगी। दरे समस्त टेक्स सहित दी जावे।

हस्ताक्षर
ठेकेदार/सर्विसप्रदाता

Signature Not Verified
Digitally signed by JAGDISHCHANDRA DANGARH
Date: 2026.05.10 21:06.25 IST
Location: Madhya Pradesh-MP